परिहास-सम्बन्ध
(Joking Relationship)

नातेदारी की रीतियो मे परिहास-सम्बन्ध परिहार का बिल्कुल विपरीत रूप है। जहाँ परिहार दो सम्बन्धियो को एक-दूसरे से दूर ले जाता है, वहाँ परिहास-सम्बन्ध दो व्यक्तियो को अति निकट लाता है। निश्चित अर्थ मे यह दो व्यक्तियो को 'मधुर सम्पर्क' या सम्बन्ध-सूत्र मे बाँधता है और दोनो को एक-दूसरे के साथ हँसी-मजाक करने का अधिकार देता है। श्री रैडक्लिफ-ब्राउन (Radcliffe-Brown) के अनुसार, "परिहास-सम्बन्ध दो व्यक्तियो का वह सम्बन्ध है जिसमे प्रथा द्वारा एक पक्ष को यह छूट रहती है और कभी-कभी उससे यह माग की जाती है कि वह दूसरे पक्ष को तग करे, छेडे या उससे हँसी-मजाक करे, पर दूसरा पक्ष इसका कुछ भी बुरा न माने।'[25]

जबकि परिहार मे यौन-सम्बन्धी विषयो से बचने का भरसक प्रयत्न किया जाता है, पर परिहास-सम्बन्ध मे यौन-सम्बन्धी हँसी-मजाक की उतनी ही छूट रहती है। देवर-भाभी, जीजा-साली, साले-बहनोई आदि का सम्बन्ध केवल आदिम समाजो मे ही नही, हमारे अपने समाज मे भी परिहास-सम्बन्ध के उत्तम उदाहरण हैं। ये एक-दूसरे को छेडते हैं, एक-दूसरे की सामान्य त्रुटि पर खिल्ली उडाते है, सबके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं और यौन-सम्बन्धी हँसी-मजाक मे सम्मिलित होते है। इन सम्बन्धियो मे हँसी-मजाक की मात्रा तथा क्षेत्र त्योहारो के दिनो मे बहुत बढ जाता है। होली का त्योहार इस मामले मे सबसे उल्लेखनीय है।

कुछ समाजो मे परिहास-सम्बन्ध का क्षेत्र गाली देने, यौन-सम्बन्धी भद्दे मजाक करने और खिल्ली उडाने तक ही सीमित न रहकर एक-दूसरे की वस्तुओ की दुर्गति या सम्पत्ति की बर्बादी करने तक विस्तृत होता है। मैलानेशिया मे भतीजे को यह अधिकार होता है कि वह अपने चाचा की सम्पत्ति को चाहे रखे या बर्बाद करे और इनके बीच के परिहास-सम्बन्ध के कारण ही चाचा से यह आशा की जाती है कि वह भतीजे के किसी भी व्यवहार का बुरा न माने।

कुछ समाजो मे परिहास-सम्बन्ध दादी-पोते या दादा-पोती के बीच भी होते हैं। कुछ ऐसे समाज भी हैं जहाँ मामी-भानजे के बीच परिहास-सम्बन्ध पाये जाते है। अरापाही समाज मे जीजा साली मे से कोई भी अगर देर तक सोता है, तो उसपर जो जागता रहता है या जल्दी उठ जाता है, ठण्डा पानी डाल देता है। ये लोग आपस मे चुम्बन भी ले सकते हैं।

भारतीय जनजातियो मे भी परिहास-सम्बन्धो का अत्यधिक विस्तार है। देवर या साली के साथ हँसी-मजाक करने की प्रथाएँ तो बहुत ही सामान्य हैं। ओराँव तथा बैगा जनजातियो मे दादी-पोते या दादा-पोती के बीच परिहास-सम्बन्ध पाये जाते हैं।

श्री रिवर्स (Rivers) का विश्वास है कि परिहास-सम्बन्ध की उत्पत्ति फुफेरो-ममेरो मे विवाह-सम्बन्ध जो प्रारम्भिक युग मे सामान्य था, के कारण हुई है। श्री वेस्टरमार्क इस सिद्धान्त से सहमत नही हैं। आपके मतानुसार किसी भी सस्था से किसी अन्य एक सस्था की उत्पत्ति की कल्पना करना बहुत सरल है परन्तु उसे प्रमाणित करना कठिन है। परिहास-सम्बन्ध केवल मात्र पारस्परिक समानता की ओर निर्देश करता है और उन दो सम्बन्धित व्यक्तियों को एक-दूसरे से घनिष्ठ करता है जिनसे कि पहले विवाह-सम्बन्ध स्थापित होने की सम्भावना रहती थी। देवर-भाभी और जीजा-साली के बीच पाये जाने वाले परिहास-सम्बन्ध की उत्पत्ति इसी सम्भावना के आधार पर हुई होगी। श्री रैडक्लिफ-ब्राउन (Radcliffe-Brown) के अनुसार परिहास-सम्बन्धो का एक प्रतीकात्मक अर्थ (symbolic meaning) होता है और वह यह कि इस सम्बन्ध से सम्बन्धित व्यक्ति हँसी-मजाक और यहाँ तक कि मारपीट के माध्यम से एक-दूसरे के प्रति मित्रता या प्रीति का प्रदर्शन करते हैं और पारिवारिक जीवन को सजीव बनाये रखने मे इनके महत्त्व को अस्वीकार नही करना चाहिए यदि इस प्रकार के सम्बन्धो का दुरुपयोग न किया जाय।